UPBJ010099882023

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–01, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारी:– (प्रशांत मित्तल), उच्चतर न्यायिक सेवा– UP6174

सत्र परीक्षण संख्या: 1996 सन् 2023

उत्तर प्रदेश राज्य ....**अभियोजन**

बनाम

1. फरमान पुत्र सगीर अहमद,
2. सगीर पुत्र शब्बीर अहमद,

निवासीगण– ग्राम मण्डावली सैदू, थाना कोतवाली शहर, जिला बिजनौर।

.................**अभियुक्तगण**

मुकदमा अपराध सं0–299/2023
धारा–302/34, 323/34, 325/34, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता
थाना–कोतवाली शहर बिजनौर,
जिला– बिजनौर।

एवं

सत्र परीक्षण संख्या: 659 सन् 2024

UPBJ010032142024

उत्तर प्रदेश राज्य ....**अभियोजन**

बनाम

संजीदा उर्फ शमशीदा पत्नी सगीर, निवासी– ग्राम मण्डावली सैदू, थाना कोतवाली शहर, जिला बिजनौर।

.....................**अभियुक्ता**

मुकदमा अपराध सं0–299/2023
धारा–302/34, 323/34, 325/34, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता
थाना–कोतवाली शहर बिजनौर,
जिला– बिजनौर।

Digitally signed by PRASHANT MITTAL
Date: 2026.06.16 17:26:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

निर्णय

01• अभियुक्तगण फरमान व सगीर के विरुद्ध थाना कोतवाली शहर, जिला बिजनौर की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या– 299/2023 में आरोप पत्र संख्या 431/2023 अन्तर्गत धारा– 323,325,504,506,302/34 भारतीय दण्ड संहिता विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया है। अभियुक्तगण का विचारण प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर सत्र सुपुर्दगी आदेश दिनांक 19–08–2023 के पश्चात् किया गया है।

02• अभियुक्ता संजीदा उर्फ शमशीदा के विरुद्ध थाना कोतवाली शहर, जिला बिजनौर की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–299/2023 में आरोप पत्र संख्या 431ए/2023 अन्तर्गत धारा– 323,325,504,506,302/34 भारतीय दण्ड संहिता विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया है। अभियुक्ता का विचारण प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर सत्र सुपुर्दगी आदेश दिनांक 02–03–2024 के पश्चात् किया गया है।

03• उपरोक्त दोनों सत्रवाद एक ही घटना व संव्यवहार से संबंधित होने के कारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 19.03.2024 के द्वारा दोनों ही सत्रवादों को समेकित किया गया। अतः सुविधा की दृष्टि से दोनों ही सत्रवादों में एक साथ निर्णय पारित किया जा रहा है।

04• प्रार्थी/वादी मुकदमा अब्बास अहमद पुत्र सगीर अहमद, निवासी– मण्डावली सैदू, थाना कोतवाली शहर, जिला बिजनौर पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि, ''प्रार्थी अब्बास अहमद निवासी मण्डावली सैदू थाना कोतवाली शहर का रहने वाला है। दिनांक 14–04–2023 को समय करीब 02:30 बजे रास्ते की तरफ मेरे पिता सगीर अहमद, मेरी माता हनीफा व बहन साबरा दीवार बना रहे थे तभी घर के सामने फरमान पुत्र सगीर, सगीर पुत्र शब्बीर अहमद, निवासी– मण्डावली सैदू, कोतवाली शहर, बिजनौर, दोनों ने दीवार बनाने को लेकर गाली–गलौच तथा दोनों ने जान से मारने की नियत से मेरे पिता के सिर में ईंट मार दी, जिससे मेरे पिता बेहोश होकर जमीन पर गिर गये, उन्हें बचाने के लिये मेरी मां तथा बहन आ गयी तो उनको भी लाठी–डण्डों से घायल कर दिया, जिससे सिर व शरीर में खुली व गुम चोटें आयी हैं। खून निकल रहा है। भीड़ इकट्ठा होने पर यह दोनों लोग जाते समय भी जान से मारने की धमकी दे गये। मैं अपने मां–बाप को साथ लेकर थाने आया हूं।''

05• वादी मुकदमा अब्बास अहमद की उक्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर बिजनौर, जिला बिजनौर पर दिनांक 14–04–2023 को समय 17:42 बजे, मुकदमा अपराध संख्या 299/2023 धारा–323, 504, 506, 308 भारतीय दंड संहिता अभियुक्तगण फरमान व सगीर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया तथा विवेचना की गयी।

06• विवेचक द्वारा विवेचना क्रम में घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया गया। वादी मुकदमा एवं अन्य साक्षीगण के बयान केस डायरी में अंकित किये तथा विवेचना में अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण फरमान व सगीर के विरुद्ध मुकदमा अपराध सं0 299/2023 अन्तर्गत धारा 323, 504, 506, 325, 302/34 भा0दं0सं0 विचारण हेतु आरोप पत्र संख्या 431

दिनांकित 13.07.2023 न्यायालय प्रेषित किया गया तथा अभियुक्त संजीदा उर्फ शमशीदा के फरार चलने के कारण उसके विरुद्ध विवेचना प्रचलित रही।

07• विवेचक द्वारा अभियुक्ता संजीदा उर्फ शमशीदा के विरुद्ध गैर जमानतीय वारण्ट, धारा 82 व धारा 83 की कार्यवाही करते हुए, अभियुक्ता संजीदा उर्फ शमशीदा के विरुद्ध मुकदमा अपराध सं0 299/2023 अन्तर्गत धारा 323, 504, 506, 325, 302/34 भा0दं0सं0 विचारण हेतु मफरूरी में आरोप पत्र संख्या 431ए दिनांकित 07–11–2023 न्यायालय प्रेषित किया गया।

08• अभियुक्तगण फरमान व सगीर के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–302/34, 323/34, 325/34, 504, 506 भारतीय दंड संहिता दिनांक 22–09–2023 को विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

09• अभियुक्त संजीदा उर्फ शमशीदा के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–302/34, 323/34, 325/34, 504, 506 भारतीय दंड संहिता दिनांक 19–03–2024 को विरचित किया गया। आरोप अभियुक्ता को पढ़कर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्ता ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

10• आरोप को साबित करने के लिये अभियोजन पक्ष ने मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया है–

क्रम सं0	**साक्षी का नाम**	**पी0डब्लू0 संख्या**	**विवरण**
01.	अब्बास अहमद	पी0डब्लू0–1	वादी मुकदमा/शिकायतकर्ता
02.	हनीफा	पी0डब्लू0–2	चक्षुदर्शी/चुटैल साक्षी
03.	साबरा खातून	पी0डब्लू0–3	चक्षुदर्शी साक्षी
04.	कय्यूम	पी0डब्लू0–4	तथ्यात्मक साक्षी
05.	मौ0 यामीन	पी0डब्लू0–5	तथ्यात्मक साक्षी
06.	रिजवाना खातून	पी0डब्लू0–6	तथ्यात्मक साक्षी
07.	मौ0 अली	पी0डब्लू0–7	तथ्यात्मक साक्षी
08.	मौ0 अफसर	पी0डब्लू0–8	तथ्यात्मक साक्षी
09.	डा0 राधेश्याम वर्मा	पी0डब्लू0–9	विशेषज्ञ साक्षी
10.	डा0 बी0आर0 त्यागी	पी0डब्लू0–10	विशेषज्ञ साक्षी
11.	डा0 विकास चौधरी	पी0डब्लू0–11	विशेषज्ञ साक्षी
12.	हेड कां0 चेतन सिंह	पी0डब्लू0–12	प्राथमिकी साक्षी
13.	डा0 देवेन्द्र कुमार	पी0डब्लू0–13	विशेषज्ञ साक्षी
14.	उप–निरीक्षक बिजेन्द्र सिंह	पी0डब्लू0–14	औपचारिक साक्षी

15.	उप–निरीक्षक ज्योति तोमर	पी0डब्लू0–15	विवेचक साक्षी
16.	निरीक्षक जीत सिंह	पी0डब्लू0–16	विवेचक साक्षी
17.	मौहम्मद यूनुस	पी0डब्लू0–17	तथ्यात्मक साक्षी

11• अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं–

क्रम सं0	**विवरण**	**प्रदर्श संख्या**	**द्वारा साबित किया गया**
01.	लिखित तहरीर	प्रदर्श क–1	पी0डब्लू0–1
02.	मृत्यु की सूचना की तहरीर	प्रदर्श क–2	पी0डब्लू0–1
03.	चुटैल सगीर अहमद की मेडिकल रिपोर्ट	प्रदर्श क–3	पी0डब्लू0–9
04.	चुटैल हनीफा की मेडिकल रिपोर्ट	प्रदर्श क–4	पी0डब्लू0–9
05.	चुटैल साबरा खातून की मेडिकल रिपोर्ट	प्रदर्श क–5	पी0डब्लू0–9
06.	चुटैल हनीफा की पूरक रिपोर्ट	प्रदर्श क–6	पी0डब्लू0–9
07.	चुटैल हनीफा की एक्स–रे रिपोर्ट	प्रदर्श क–7	पी0डब्लू0–10
08.	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	प्रदर्श क–8	पी0डब्लू0–11
09.	मूल रजिस्टर की छायाप्रति	प्रदर्श क–9	पी0डब्लू0–11
10.	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क–11	पी0डब्लू0–12
11.	कायमी जी0डी0 सं0–78	प्रदर्श क–12	पी0डब्लू0–12
12.	चुटैल सगीर अहमद की पूरक रिपोर्ट	प्रदर्श क–13	पी0डब्लू0–13
13.	पंचायतनामा	प्रदर्श क–14	पी0डब्लू0–14
14.	मृत्यु की पी0आई0	प्रदर्श क–15	पी0डब्लू0–14
15.	जी0डी0 सं0 13	प्रदर्श क–16	पी0डब्लू0–14
16.	चिट्ठी आर0आई0	प्रदर्श क–17	पी0डब्लू0–14
17.	चालान नाश	प्रदर्श क–18	पी0डब्लू0–14
18.	चिट्ठी सी0एम0ओ0	प्रदर्श क–19	पी0डब्लू0–14

19.	फोटो नाश	प्रदर्श क–20	पी0डब्लू0–14
20.	नक्शा नजरी घटना स्थल	प्रदर्श क–21	पी0डब्लू0–15
21.	आरोप पत्र सं0 431/2023	प्रदर्श क–22	पी0डब्लू0–16
22.	आरोप पत्र सं0 431ए/2023	प्रदर्श क–23	पी0डब्लू0–16

12• अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं–

क्रम सं0	**विवरण**	**वस्तु प्रदर्श संख्या**	**द्वारा साबित किया गया**
01.	एक्स–रे प्लेट	वस्तु प्रदर्श–1	पी0डब्लू0–10

13• अभियुक्तगण का बयान धारा 313 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत कहते हुए रंजिशन झूठा बयान देना, पुलिस द्वारा गलत विवेचना किया जाना व गलत आरोप पत्र प्रेषित करना तथा गांव की रंजिश के कारण झूठा मुकदमा चलाया जाना कहा है। यह भी कहा है कि वे निर्दोष हैं। अभियुक्तगण को सफाई साक्ष्य हेतु अवसर दिया गया। अभियुक्तगण ने सफाई में साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने से इन्कार किया है।

14• मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

15• अभियोजन के कथनानुसार, अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 14–04–2023 को समय करीब 02:30 बजे दिन वहद स्थान ग्राम मण्डावली सैदू, थाना कोतवाली शहर, जिला बिजनौर की सीमा में एकराय होकर सामान्य आशय के अग्रसारण में वादी मुकदमा अब्बास अहमद के पिता सगीर अहमद के सिर में ईंट से चोटें पहुंचाकर उनकी हत्या कारित की गयी, वादी मुकदमा अब्बास अहमद की माता हनीफा व बहन शाबरा को लाठी–डण्डों से मारपीट की गयी, जिससे हनीफा के फ्रैक्चर हो गया, वादी मुकदमा के परिवार वालों को गन्दी–गन्दी गालियां दी गयी एवं जान से मारने की धमकी दी गयी। अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में उपरोक्त 17 साक्षियों को प्रस्तुत किया गया है।

16• **साक्षी पी0डब्लू0–1 अब्बास अहमद**, जो कि इस अभियोग की वादी मुकदमा है, ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, ''मैं वी0सी0 द्वारा हाजिर अदालत फरमान, सगीर व संजीदा उर्फ शमशीदा को जानता हूँ, जिनकी हाजरी आज मेरे सामने जेल से जरिये वी0सी0 की गयी। दिनांक 14–04–2023 को मैं समय करीब 12:00 बजे जंगल गया था। जब मैं जंगल गया था तब मेरे अब्बा सगीर अहमद व माँ हनीफा व बहन साबरा घर की दीवार चिन रहे थे। मैं उन्हें दीवार चिनते हुए छोड़कर जंगल चला गया था। मुझे करीब 03:00 बजे सूचना मिली थी कि तुम्हारे अब्बा सगीर अहमद

व माँ हनीफा व बहन साबरा के ऊपर दीवार चिनते समय दीवार गिर गयी है, जिससे वह तीनों घायल हो गये हैं। इस सूचना पर मैं तुरन्त घर पर आया और उन तीनों को घायल अवस्था में वैन कार से लेकर सरकारी अस्पताल बिजनौर लाया था, जहाँ से मेरे अब्बा की हालत खराब होने के कारण अस्पताल वालों ने मेरठ के लिये रैफर कर दिया था। जहाँ दिनांक 17–04–2023 को ईलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी थी। इस घटना की तहरीर मौहल्ले वालों ने लिखकर मेरे हस्ताक्षर करा लिये थे। मैं घर वालों के चोट लगने के कारण परेशान था इसलिए मैंने तहरीर पर बिना पढ़े हस्ताक्षर कर दिये थे। गवाह को तहरीर कागज सं0 अ–6/3 दिखायी व पढ़वायी तो गवाह ने कहा कि तहरीर में जो नाम फरमान, सगीर व संजीदा के नाम है, इन्होंने मेरे पिता, माता व बहन के साथ लाठी–डण्डों व ईंट से मारपीट नहीं की थी।'' इस स्तर पर अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया गया। इस साक्षी ने घटना की तहरीर टाईप कराकर अपने हस्ताक्षर करके थाना कोतवाली शहर बिजनौर को दिया जाना कथित करते हुए मूल तहरीर को **प्रदर्श क–1** के रूप में तथा अपने पिता की मृत्यु की सूचना थाने पर दी गयी तहरीर को **प्रदर्श क–2** के रूप में साबित किया है।

17• साक्षी **पी0डब्लू0–2 हनीफा,** जो कि इस अभियोग की चुटैल व चक्षुदर्शी साक्षी है, ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, ''मैंने वी0सी0 के जरिये मुल्जिमानों को देखा, फरमान, सगीर व संजीदा को जानती–पहचानती हूँ। वह मेरे ही गांव के रहने वाले हैं। मैं मृतक सगीर अहमद की पत्नी हूँ तथा साबरा मेरी पुत्री है। दिनांक 14–04–2023 को मैं समय करीब दोपहर 02:30 बजे अपने पति सगीर अहमद व अपनी लड़की साबरा के साथ मिलकर सड़क के पास अपने घर की दीवार चिन रहे थे। उस समय फरमान, सगीर व संजीदा नहीं आये थे और न ही हमारे साथ इन्होंने गाली–गलौच की थी और न ही इन्होंने मेरे पति सगीर अहमद व मेरी पुत्री साबरा व मेरे साथ ईंटों से मारपीट की थी। दीवार चिनते हुए हमारे ऊपर दीवार गिर गई थी, जिसमें मेरे पति सगीर के गम्भीर चोटें आई थी तथा मेरी लडकी साबरा और मेरे भी चोटे आई थी। हम लोगों को गांव वाले व परिवार वाले सरकारी अस्पताल बिजनौर लेकर आये थे। जहाँ पर हमारी चोटों का ईलाज हुआ था। मेरे पति की हालत गम्भीर देखते हुए, डाक्टरों ने मेरठ रैफर कर दिया था। जहाँ पर उनकी इलाज के दौरान लगभग तीन दिन बाद मृत्यु हो गई थी। फरमान, सगीर व संजीदा ने मेरे पति सगीर अहमद, मेरी लड़की साबरा व मेरे साथ ईंट व लाठी–डण्डों से मारपीट नहीं की थी।'' इस स्तर पर अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया गया।

18• साक्षी **पी0डब्लू0–3 साबरा खातून,** जो कि इस अभियोग की चुटैल व चक्षुदर्शी साक्षी है, ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, ''गवाह को जरिये वी0सी0 अभियुक्तगण को दिखाया गया, जिन्हें देखकर गवाह ने कहा कि मैं मुल्जिमान फरमान, सगीर अहमद, संजीदा अहमद को जानती हूँ। हमारे घर के सामने ही इनका घर है। मृतक सगीर अहमद मेरे अब्बा थे और अब्बास अहमद मेरे भाई हैं और हनीफा मेरी अम्मी है। दिनांक 14–04–2023 को दोपहर लगभग 02:30 बजे मेरे सगीर अहमद मेरे अम्मी हनीफा व मैं अपने घर के आगे की दीवार चिन रहे थे। मुल्जिमान फरमान,

सगीर अहमद व संजीदा ने हमारे साथ कोई गाली–गलौच व मारपीट नहीं की थी, न ही मुल्जिमानों ने मेरे अब्बा सगीर अहमद, मेरी अम्मी हनीफा व मेरे ईंट व लाठी–डण्डों से मारपीट नहीं की थी, न ही शोर शराबे की आवाज सुनकर मौके पर मेरे भाई अब्बास अहमद, अफसर व भाभी रिजवाना नहीं आये थे। दीवार चिनते हुए दीवार गिरने से मेरे अब्बा, अम्मी व मेरे चोटें आ गई थीं। मेरे अब्बा मौके पर ही बेहोश हो गये थे। मौहल्ले वाले हमें ईलाज के लिये सरकारी अस्पताल बिजनौर लेकर गये थे। जहां पर मेरे अब्बा की हालत गम्भीर देखते हुए, उन्हें मेरठ रैफर कर दिया था। जहां पर ईलाज के दौरान मेरे अब्बू की तीन दिन बाद मौत हो गई थी। मुल्जिमान फरमान, सगीर अहमद व संजीदा ने हमारे साथ कोई मारपीट नहीं की।'' इस स्तर पर अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया गया।

19• साक्षी **पी0डब्लू0–4 कय्यूम,** जो कि इस अभियोग का चक्षुदर्शी साक्षी है, ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, ''मैं अभियुक्तगण फरमान, सगीर व संजीदा को जानता हूँ तथा वादी अब्बास अहमद, मृतक सगीर अहमद, हनीफा व साबरा को भी जानता हूँ, से सभी मेरे गांव के रहने वाले हैं। दिनांक 14–04–2023 को मैं सुबह अपनी गाड़ी को लेकर स्टैण्ड पर आ गया और शाम को 7–8 बजे घर वापस गया। मैंने घर जाने पर गांव में सुना था कि सगीर अहमद, हनीफा व साबरा को दीवार चिनते हुए, दीवार उनके ऊपर गिरने से चोट आ गयी है और ईलाज के लिये बिजनौर ले गये हैं। सगीर अहमद की मृत्यु ईलाज के दौरान दो–तीन दिन बाद हो गयी थी। मेरे सामने फरमान, सगीर व संजीदा ने सगीर अहमद, हनीफा व साबरा को ईंट–पत्थरों से नहीं मारा।'' इस स्तर पर अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया गया।

20• साक्षी **पी0डब्लू0–5 मौ0 यामीन** ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, ''मैं हाजिर अदालत सगीर व संजीदा को जानता हूँ तथा फरमान को भी जानता हूँ, जो इस केस में जेल में बन्द है, ये मेरे गांव के ही रहने वाले हैं। मैं मृतक सगीर अहमद को भी जानता था, यह भी मेरे गांव का रहने वाला था। दिनांक 14–04–2023 को सगीर अहमद, हनीफा, साबरा अपने घर के बाहर की दीवार चिन रहे थे। मैंने इन्हें करीब चार वर्ष पहले दीवार चिनते देखा था, इसके बाद मैं अपनी मजदूरी पर चला गया था। जब मैं शाम को घर वापस आया तो मुझे पता चला कि सगीर अहमद, हनीफा व साबरा के ऊपर दीवार गिर गयी है, जिससे सगीर अहमद, साबरा व हनीफा को चोट आयी हैं। मैं इनको जिला अस्पताल बिजनौर में देखने गया था। सगीर अहमद की हालत गम्भीर थी इसलिए उसे मेरठ रैफर कर दिया गया था। जहां पर दो दिन बाद ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी थी। मैंने फरमान, सगीर व संजीदा को सगीर अहमद, हनीफा व साबरा को ईंट व लाठी–डण्डों से मारते हुये नहीं देखा था।'' इस स्तर पर अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया गया।

21• साक्षी **पी0डब्लू0–6 रिजवाना खातून** ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, ''मैं हाजिर अदालत फरमान, संजीदा व सगीर को जानती हूँ, यह सब मेरे गांव के ही रहने वाले हैं। मैं मृतक सगीर अहमद को भी जानती थी, वह मेरे ससुर थे। मैं साबरा

व हनीफा को भी जानती हूँ। मौ0 अब्बास को भी जानती हूँ, वह मेरे पति है, जो इस केस के वादी हैं। मैं शिक्षामित्र हूँ और बिजनौर आती–जाती रहती हूँ। दिनांक 14–04–2023 को मेरे ससुर सगीर अहमद, ननद साबरा, सास हनीफा अपने घर के बाहर की दीवार चिन रहे थे। मैं सुबह 10:00 बजे शिक्षामित्रों की मिटिंग में बिजनौर आ गयी थी। जब मैं शाम को 03:00 घर पर पहुंची तो मुझे पता चला कि मेरे ससुर सगीर अहमद, सास हनीफा व ननद साबरा को दीवार गिरने से चोट लग गयी है और उन्हें ईलाज के लिये बिजनौर ले गये हैं। मेरे ससुर सगीर अहमद के ज्यादा चोट लगने के कारण गम्भीर हालत होने की वजह से मेरठ भेज दिया है। मेरठ में ईलाज के दौरान दिनांक 17–04–2023 को उनकी मृत्यु हो गयी थी। फरमान, सगीर व संजीदा से हमारी घर के सामने पेड़ी बनाने को लेकर हमारी एक बार बोलचाल बहुत दिन पहले हो गयी थी। मेरे सामने सगीर अहमद पुत्र घसीटा, साबरा, हनीफा को फरमान, सगीर व संजीदा ने लाठी–डण्डों व ईंट से मारपीट नहीं किया और न ही गाली–गलौच व जान से मारने की धमकी दी।'' इस स्तर पर अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया गया।

22• साक्षी **पी0डब्लू0–7 मौहम्मद अली** ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, ''मैं हाजिर अदालत मुल्जिमान फरमान, सगीर व संजीदा को जानता हूँ, यह मेरे गांव के रहने वाले हैं। मैं मृतक सगीर अहमद पुत्र घसीटा को जानता हूँ, वह हमारे गांव का रहने वाला था। हनीफा, साबरा व अब्बास अहमद को भी जानता हूँ, ये भी मेरे गांव के रहने वाले हैं। मैं खेती का कार्य करता हूँ और सुबह अपने खेत पर काम करने के लिये चला जाता हूँ और शाम को वापस आता हूँ। दिनांक 14–04–2023 को भी मैं सुबह अपने खेत पर काम करने चला गया था। मैं देर शाम को घर वापस आया था तब मुझे पता चला कि सगीर अहमद पुत्र घसीटा, साबरा व हनीफा के ऊपर दीवार गिरने से चोट आयी है और उन्हें अस्पताल ले गये हैं। सगीर अहमद की मृत्यु ईलाज के दौरान मेरठ में चार दिन बाद हो गई थी। मुझे नहीं पता कि सगीर अहमद पुत्र घसीटा आदि व सगीर पुत्र शब्बीर में आपस में कोई मारपीट हुई थी या नहीं।'' इस स्तर पर अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया गया।

23• साक्षी **पी0डब्लू0–8 मौ0 अफसर** ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, ''मैं हाजिर अदालत सगीर व संजीदा को जानता हूँ तथा फरमान जो आज हाजिर अदालत नहीं है, को भी जानता हूँ, सभी मेरे गांव के रहने वाले हैं। मेरी बिजनौर एल्यूमीनियम के फ्रेम बनाने की दुकान है और अक्सर काम के सिलसिले में साईड पर जाता रहता हूँ। दिनांक 14–04–2023 को मैं सुबह ही अपने काम पर बिजनौर आ गया था। मुझे करीब 03:00 बजे सूचना मिली कि तुम्हारे अब्बा सगीर, माता हनीफा व बहन साबरा के ऊपर दीवार गिर गयी है तथा तीनों घायलों को बिजनौर सरकारी अस्पताल लेकर गये हैं, जल्दी आ आजो, इस सूचना पर मैं जिला अस्पताल गया तो देखा कि मेरे अब्बा की हालत गम्भीर थी, उनको ईलाज के लिये बिजनौर अस्पताल से मेरठ मेडिकल के लिये रैफर कर दिया था। ईलाज के दौरान मेरे अब्बा की दिनांक 17–04–2023 को मेरठ मेडिकल कालेज में मृत्यु हो गयी थी। मेरे अब्बा सगीर अहमद, माता हनीफा व बहन साबरा को फरमान, सगीर व संजीदा ने

लाठी–डण्डों व ईंट–पत्थरों से मारपीट नहीं की थी।'' इस स्तर पर अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया गया।

24• साक्षी **पी0डब्लू0–9 डॉ0 राधेश्याम वर्मा,** जिनके द्वारा इस अभियोग के चुटैलों का चिकित्सीय परीक्षण किया गया है, ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, ''मैं दिनांक 14–04–2023 को उपरोक्त पद व स्थान पर तैनात था। इस दिन मेरी इमरजेन्सी ड्यूटी थी। उस दिन **चुटैल सगीर अहमद** समय 03:40 बजे इमरजेन्सी में आया था, जिसे होमगार्ड 295 पूनम थाना कोतवाली शहर लेकर आयी थी, जिनके शरीर पर आयी चोटों का डाक्टरी मुआयना मेरे द्वारा दिया गया था। चुटैल के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पायी गयी थी–

चोट नं0–1 एक फटा हुआ घाव 7 X 0.5 सें0मी0 X हड्डी तक गहरा सिर के बांयी ओर हिस्से में बांयी भौं से 5 सें0मी0 ऊपर थी। चोट के अन्दर से ताजा रक्त बह रहा था। मेरे द्वारा उपरोक्त चोट को जेरे निगरानी रखा गया था एवं चुटैल की एक्स–रे की सलाह दी गयी थी।

चोट नं0–2 एक गुम चोट के कारण पैदा हुई सूजन जो कि सिर में बांयी ओर बांये कान से 6 सें0मी0 ऊपर की ओर मौजूद थी, जिसका आकार 6 X 3.8 सें0मी0 था। इस चोट को भी जेरे निगरानी रखा गया था और एक्स–रे की सलाह दी गयी थी।

चोट नं0–3 एक गुम चोट के कारण पैदा हुई सूजन 7.8 X 5 सें0मी0 एवं यह चोट दाहिनी ओर दाये कान से 5 सें0मी0 ऊपर की ओर मौजूद थी। मेरे द्वारा इस चोट को भी जेरे निगरानी रखा गया था एवं एक्स–रे की सलाह दी गयी थी।

चोट नं0–4 चुटैल के दोनों ओर से नथनों से थक्कायुक्त खून बाहर आ रहा था।

चोट नं0–5 एक गुम चोट के कारण पैदा हुई सूजन जिसका आकार 3 X 2.7 सें0मी0 एवं यह चोट माथे पर दायी ओर दायी भौं से एकदम ऊपर की ओर मौजूद थी।

चोट नं0–6 मेरे डाक्टरी मुआयना करने के दौरान चुटैल ने मुझे तेज सिर दर्द, चक्कर आना, बेहोशी आना एवं उल्टी आने की शिकायत मेरे पास आने से एक घण्टे पहले से हो रही है, की थी।

चोट नं0–7 एक गुम चोट लगने के कारण पैदा हुई सूजन जिसका आकार 5 X 3 सें0मी0 था। यह चोट दायी ओर की बाजू में दायी कोहनी से 4 सें0मी0 नीचे की ओर 5 X 3 सें0मी0 के आकार में थी।

मेरी राय में उपरोक्त सभी चोटें ताजा थीं एवं किसी ठोस वस्तु से आना सम्भव थी। चोट नं0–1, 2 व 3 को मेरे द्वारा जेरे निगरानी रखा गया था तथा एक्स–रे एवं खोपड़ी का सी0टी0 स्कैन कराने की सलाह दी गयी थी। चोट नं0–4 व चोट नं0–6, चोट नं0–1, 2 व 3 का प्रभाव है एवं चोट नं0–5, 6 व 7 की प्रवृत्ति साधारण प्रकार की थी। यह सभी चोटें ईंट, डण्डे व लाठी से आना सम्भव है तथा दिनांक 24–04–2023 को दोपहर के 02:30 बजे आना सम्भव है। चुटैल की मेडिकल रिपोर्ट आज पत्रावली पर कागज सं0 ब–8/1 पर मौजूद है, जो मेरे लेख व

हस्ताक्षर में है तथा मजरूब का निशानी अंगूठा लगा है, जो मेरे द्वारा प्रमाणित है, जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया।

उसी दिन **चुटैल हनीफा** आयु लगभग 58 वर्ष जिसे एच0जी0 295 पूनम लेकर आयी थी, जिसका डाक्टरी परीक्षण मेरे द्वारा दोपहर बाद समय 03:25 बजे किया गया था। चुटैल के शरीर पर निम्नलिखित चोटे पायी गयी थीं–

चोट नं0–1 एक गुम चोट लगने के कारण पैदा हुई सूजन जिसका आकार 11 सें0मी0 X 5 सें0मी0 एवं यह चोट दाहिनी ओर की छाती के पीछे वाले हिस्से में बाये कन्धे से 5 सें0मी0 ऊपर की ओर मौजूद थी। मेरे द्वारा इस चोट को जेने निगरानी रखा गया था एवं चुटैल को एक्स–रे कराने की सलाह दी गयी थी।

चोट नं0–2 मेरे डाक्टरी मुआयना करने के दौरान चुटैल अपने दाहिनी ओर के हाथ से दाहिनी ओर का कन्धा हिलाने में असमर्थ था।

चोट नं0–3 एक लाल नीलगू निशान खरोंच मुक्त जिसका 2 सें0मी0 X 0.5 सें0मी0, जो चोट नं0–1 से ऊपर की ओर मौजूद थी।

मेरी राय में उपरोक्त सभी चोटें ताजा थी तथा किसी ठोस वस्तु से आना सम्भव थी। प्रकृति में साधारण प्रकार की है, सिवाय चोट नं0–1 के। चुटैल की मेडिकल रिपोर्ट मेरे सामने पत्रावली पर कागज सं0 ब–8/2 पर मौजूद है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर चुटैल का निशानी अंगूठा लगा है, जो मेरे द्वारा प्रमाणित है, जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया।

उसी दिन समय 03:20 पी0एम0 पर मेरे द्वारा **चुटैल साबरा खातून** आयु लगभग 18 वर्ष जिसे महिला होमगार्ड पूनम लेकर आयी थी, का डाक्टरी परीक्षण किया गया, जिसके शरीर पर निम्नलिखित चोटे पायी गयी–

चोट नं0–1 गुम चोट लगने के कारण पैदा हुई सूजन 3 X 2 सें0मी0 यह चोट माथे पर बांयी ओर की भौं से एकदम ऊपर की ओर मौजूद थी।

चोट नं0–2 खरोंच का निशान 1.5 X 1.7 सें0मी0 के आकार में था एवं यह चोट माथे पर बांयी ओर बांये कान से 3 सें0मी0 आगे (सामने) की ओर मौजूद थी। चोट के अन्दर से ताजा रक्त बह रहा था।

चोट नं0–3 फटा हुआ घाव जिसका आकार 4 सें0मी0 X 0.5 सें0मी0 X मांसपेशी तक गहरा एवं यह चोट सिर पर बांयी ओर बांये कान से 5 सें0मी0 ऊपर की ओर मौजूद थी। उपरोक्त चोट से थक्कायुक्त खून बह रहा था।

चोट नं0–4 एक रगड़युक्त लाल नीलगू निशान के कारण पैदा हुई सूजन जिसका आकार 4 X 2 सें0मी0 था एवं यह चोट बांयी ओर के कन्धे में ऊपर की ओर मौजूद थी।

चोट नं0–5 मेरे डाक्टरी मुआयना करने के बाद चुटैल ने आगे वाली दोनों ओर की छाती में दर्द होने की शिकायत की थी।

मेरी राय में उपरोक्त सभी चोटें ताजा थी एवं किसी ठोस वस्तु से आना सम्भव थी। चुटैल की मेडिकल रिपोर्ट कागज सं0 ब–8/3 पर मौजूद है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर चुटैल का निशानी अंगूठा लगा है, जो मेरे द्वारा

प्रमाणित है, जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया। चुटैल सगीर को उसकी गम्भीर हालत देखते हुए मेरठ मेडिकल कालेज के लिये रैफर कर दिया था। दिनांक 02–06–2023 को मेरे द्वारा चुटैल हनीफा की पूरक रिपोर्ट एक्स–रे रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गयी थी, जिसमें कि चुटैल की दाहिनी ओर की स्केपुला स्पाइन का फ्रैक्चर पाया गया था। अतः मेरी राय में यह चोट गम्भीर प्रकृति की थी। पूरक रिपोर्ट पत्रावली पर कागज सं0 ब–8/4 पर मौजूद है, जो मेरे लेख में है, जिस पर **प्रदर्श क–6** डाला गया।''

25• साक्षी **पी0डब्लू0–10 डॉ0 बी0आर0 त्यागी,** जिनके द्वारा इस अभियोग की मजरूबा हनीफा की एक्स–रे रिपोर्ट तैयार की गयी, ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, ''दिनांक 15–04–2023 को मैं रेडियोलॉजिस्ट के पद पर तैनात था। उस दिन मैंने पीड़िता हनीफा उम्र 58 वर्ष पत्नी सगीर अहमद, निवासी– मण्डावली सैदू, थाना कोतवाली शहर के दाहिने कन्धे का एक्स–रे जिला चिकित्सालय, बिजनौर में कराया था। दाहिने कन्धे की स्केपुला हड्डी के स्पाइन में फ्रैक्चर पाया गया। एक्स–रे प्लेट नं0 9788 व एक्स–रे रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर निशानी अंगूठा प्रमाणित है, जिस पर **प्रदर्श क–7** अंकित किया गया। एक्स–रे प्लेट नं0 9788 पत्रावली पर मौजूद है, जिस पर **वस्तु प्रदर्श क–1** अंकित किया गया।''

26• साक्षी **पी0डब्लू0–11 डॉ0 विकास चौधरी,** जो कि इस अभियोग के मृतक के शव का पोस्टमार्टमकर्ता है, ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, ''दिनांक 17–04–2023 को मेरी ड्यूटी पी0एम0 हाउस मेरठ में थी और उस दिन डॉ0 रणवीर सिंह चौधरी की ड्यूटी पी0एम0 हाउस पर थी। उस दिन मृतक सगीर पुत्र घसीटा, निवासी– सुल्तानपुर टप्पा नंगली मण्डावली, थाना कोतवाली शहर बिजनौर के शव का डा0 रणवीर सिंह चौधरी ने पोस्टमार्टम किया था, उनके साथ मैं पोस्टमार्टम करते समय मौजूद था। मृतक के शव को कां0 चन्द्रेश कुमार व होमगार्ड जरार अहमद मेडिकल कालेज मेरठ लेकर आये थे। शव की पहचान सरफराज पुत्र शमशाद जो मृतक के दामाद थे व हाफिज पुत्र शब्बीर अहमद जो मृतक का भतीजा थो, ने शव की पहचान की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉ0 रणवीर सिंह चौधरी ने कम्प्यूटर पर कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा टाईप करायी थी। मैं भी मौजूद था, जिसको डॉ0 रणीवर सिंह ने पढ़कर देखकर अपने हस्ताक्षर मेरे सामने किये थे तथा अपने पद की मोहर लगाई थी। पी0एम0 रिपोर्ट के अनुसार मृतक की मृत्यु पूर्व झगड़े में आयी चोटों के कारण मृत्यु हो गयी थी। पी0एम0 रिपोर्ट पत्रावली पर कागज सं0 अ–11/1 ता 11/4 पर मौजूद है। गवाह ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर कहा यह वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो डॉ0 रणवीर चौधरी ने मेरे समक्ष टाईप राईटर से टाईप करायी थी और उस पर अपने हस्ताक्षर किये थे। मैं उनके हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर **प्रदर्श क–8** अंकित किया गया। आज मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मूल रजिस्टर एफ0ई0डब्लू0एस0–ई0एस0ई0 दिनांक 07–04–2023 से दिनांक 03–08–2023 का है, जिस पर डा0 रणवीर के मोहर व हस्ताक्षर मौजूद हैं। रजिस्टर के पी0एम0 नं0 दिनांक 17–04–2023 को मृतक सगीर उम्र 60 वर्ष पुत्र घसीटा, निवासी ग्राम मजरा सुल्तानपुर टप्पा नंगली, बिजनौर मेडिकल कालेज द्वारा संदर्भित

कराया गया, जिसको 3206 कां0 चन्द्रेश कुमार लेकर आये थे। रजिस्टर पर अंकित है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी प्रमाणित प्रति पत्रावली पर मौजूद है, जिस पर **प्रदर्श क–9** अंकित किया गया। डॉ0 रणवीर चौधरी की मृत्यु हो चुकी है।''

27• साक्षी **पी0डब्लू0–12 हेड कां0 चेतन सिंह,** जो कि इस अभियोग का प्राथमिकी का साक्षी है, ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, ''दिनांक 14–04–2023 को मैं थाना कोतवाली शहर में हेड कांस्टेबिल के पद पर तैनात था। दिनांक 14–04–2023 को वादी अब्बास अहमद उर्फ सगीर अहमद, निवासी– ग्राम मण्डावली सैदू की लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या– 299/2023 धारा 323, 504, 506, 308 भा0दं0सं0 बनाम फरमान आदि का मुकदमा कायम कर तहरीर का शब्द–ब–शब्द बोलकर कम्प्यूटर ऑपरेटर शिवम आर्य से टंकित कराया था, जिसकी कम्प्यूटरीकृत कॉपी पत्रावली पर कागज सं0 अ–6/1 ता 6/2 पर मौजूद है, जिस पर **प्रदर्श क–11** अंकित किया गया, जिस पर थाना के हस्ताक्षर मौजूद हैं। मुकदमे जी0डी0 का खुलासा उसी दिन दिनांक 14–04–2023 को समय 17:42 जी0डी0 नं0 78 पर कम्प्यूटर ऑपरेटर शिवम आर्य में टंकित कराया गया था, जिसकी कम्प्यूटरराईज्ड कॉपी पत्रावली पर कागज सं0 अ–12/3 पर मौजूद है, जिस पर **प्रदर्श क–12** अंकित किया गया।''

28• साक्षी **पी0डब्लू0–13 डॉ0 देवेन्द्र कुमार** ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, '' मैं दिनॉक 15.04.2023 को फिर मैं एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कालेज में न्यूरो सर्जन के पद पर तैनात था। उस दिन मैं चुटैल सगीर अहमद उम्र 60 वर्ष पुत्र घसीटा निवासी ग्राम मण्डावली, जिला बिजनौर को जिला चिकित्सालय, बिजनौर से रैफर होकर के सरदार बल्लभ भाई पटेल, अस्पताल, मेरठ भेजा गया था। दिनॉक 15–04–2023 को 05:17 बजे सुबह इमरजेंसी विभाग में डॉ0 हर्षवर्धन द्वारा देखा गया था। उसके बाद डॉ0 विनोद कुमार (सर्जन) के अधीन भर्ती किया गया था। मरीज के सिर में अधिक चोट लगने के कारण मेरे द्वारा मरीज का दिनॉक 15.04.2023 को ईलाज किया गया था। मरीज की बी0पी0 एवं spo2 stable नहीं थे। स्वांस की परेशानी भी थी, इसलिए वैटिलेटर पर रखा गया था। भर्ती के समय मरीज के सिर पर टांका लगा हुआ था। घाव था। मरीज के सी0टी0स्कैन की रिपोर्ट निम्न थी–

''Multiple bleed in bilateral fronto parietal temporal region with largest in left frontal extending to bilateral ventricles causing mass effect on ipsilateral lateral ventricle. Diffuse sub arachnoid hemorrhage and subdural hemorrhage in right temporal region. Depressed communited fracture of left parieto frontal bone and fracture line extending into right parietal and left temporal bone.''
इन्हीं चोटों के कारण चुटैल सगीर अहमद दिनॉक 17.04.2023 को समय 03:43 ए0एम0 पर मरीज की मृत्यु हो गयी थी। मरीज की मृत्यु सिर में आयी चोटों के कारण हुई थी। चोट गंभीर प्रकृति की थी। चुटैल की पूरक आघात आख्या पत्रावली पर अ–11/5 पर मौजूद है जो मेरे द्वारा टाईप से तैयार की गयी है जिस पर मेरे हस्ताक्षर है जिसको मैंने पढकर अपने हस्ताक्षर किए थे जिस पर **प्रदर्श क–13** अंकित किया गया।''

29• साक्षी **पी0डब्लू0–14 एस0एस0आई0 बिजेन्द्र सिहँ** (पंचायतनामा तैयारकर्ता), ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, ''दिनॉक 14.07.2023 को मैं थाना मेडिकल, जनपद मेरठ में एस0आई0 के पद पर तैनात था। उस दिन बल्लभभाई पटेल चिकित्सालय के वार्ड बॉय मन्नु ने थाने पर आकर सूचना दी कि सगीर अहमद उम्र करीब 60 वर्ष पुत्र घसीटा खॉं, निवासी मण्डावली सेदू, थाना कोतवाली शहर की लडाई झगडे में सिर की चोट के उपचार हेतु दिनॉक 15.04.2023 को ईलाज के लिए अस्पताल में उनके पुत्र अब्बाद द्वारा भर्ती कराया गया और उपचार के दौरान दिनॉक 17.04.2023 को समय करीब 03:43 बजे सगीर अहमद की मृत्यु हो गई थी जो साथ में मृत्यु की पी0आई0 सरदार बल्लभाई पटेल चिकित्सालय से लेकर आया था जिसमें लिखा था कि सगीर अहमद की लडाई झगडे में आई सिर में चोट के ईलाज के दौरान दिनॉक 14.04.2023 को समय 03:43 ए0एम0 पर मृत्यु हो गयी थी जिसका इन्द्राज/दाखिला जी0डी0 में दिनॉक 17.04.2023 को रपट सं0 13 समय 04:55 बजे, किया गया था। इस सूचना पर मैं थाने से मय फोर्स मय हमराहीयान जिल्द पंचायतनामा व दीगर कागजात लेकर मेडिकल अस्पताल, मेरठ में मोर्चरी पर आया। मृतक सगीर का शव चित अवस्था में रखा था। मृतक के रिश्तेदार व परिवार के लोग मौजूद थे। उनमे से मसूर अहमद, अब्बास, कासिफ, मौ0 युनुस, मौ0 सरफराज को पंच नियुक्त कर पंचायतनामें की कार्यवाही शुरू की थी और पंचायतनामे से संबधित कागजात तैयार किए थे और राय पंचान में पंचो ने बताया था कि सगीर की मृत्यु लडाई झगडे में सिर में आयी चोटों के कारण ईलाज के दौरान हुई है और सभी पंचों ने राय पंचान मेंअपने हस्ताक्षर किए थे। मूल पंचायतनामा पत्रावली पर कागज संख्या अ–10/1 ता 10/2 मौजूद है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। मूल पंचायतनामें पर **प्रदर्श क–14** डाला गया। पंचायतनामे की कार्यवाही 10 बजे से 10:50 बजे तक हुई। पंचायतनामे के बाद शव को सील सर्वे मुहर कर पोस्टमार्टम हेतु कां0 चन्द्रेश कुमार व होमगार्ड जर्रार अहमद के सुपुर्द कर दिया था। पत्रावली पर मृत्यु की पी0आई0 रिपोर्ट व जी0डी0 सं0 13 समय 04:55 बजे दिनॉक 17.04.2023 पत्रावली पर कागज संख्या 10/4 व 10/5 पर मौजूद है जिन पर कमशः **प्रदर्श क–15 व प्रदर्श क–16** डाला गया। पत्रावली पर चिट्ठी आर0आई0, चालाननाश, चिट्ठी सी0एम0ओ0, फोटोनाश व नमूना मुहर पत्रावली पर कागज संख्या 10/5 ता 10/9 पर मौजूद है जो सभी मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिन पर क्रमशः **प्रदर्श क–17 ता प्रदर्श क–20** डाला गया।''

30• साक्षी **पी0डब्लू0–15 एस0आई0 ज्योति तोमर** (विवेचक), ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, ''मैं दिनॉक 14.04.2023 को थाना कोतवाली शहर, बिजनौर में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात थी। उस दिन मैंने मु0अ0सं0 299/2023, धारा 308, 323, 504, 506, भा0द0सं0 की एस0एच0ओ0 के आदेश पर विवेचना ग्रहण कर सी0डी0 का पर्चा सं0 1 किता कर नकल चिक, नकल रपट का अवलोकन कर मेडिकल रिपोर्ट पीडित सगीर अहमद, पीडिता हनीफा व पीडिता साबरा का अवलोकन कर सी0डी0 में अंकित किया। बयान एफ0आई0आर0 लेखक हेड0 कां0 चेतन सिहँ तथा मुकदमा वादी अब्बास अहमद पुत्र सगीर अहमद के बयान सी0डी0 में अंकित किए तथा उसी दिन वादी की निशानदेही पर मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण कर

नक्शा नजरी तैयार किया। नक्शा नजरी पत्रावली पर अ–4 पर मौजद है। गवाह ने नक्शा नजरी देखकर कहा कि यह मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर प्रदर्श क–21 अंकित किया गया। दिनॉक 15.04.2023 को अभियुक्त फरमान, सगीर कां0 अवधेश कुमार के द्वारा धारा 141क का नोटिस अभियुक्तगण को तामील हेतु भेजा गया। वापस आने पर कां0 अवधेश कुमार के बयान सी0डी0 में अंकित किए तथा बयान स्वतंत्र गवाह मौ0 यामीन, कययूम सी0डी0 में अंकित किए। अभियुक्तगण की गिरफतारी हेतु अभियुक्तगण के मकानो पर दबिश दी गई, नहीं मिले। मुखबिर मामूर किए गए। दिनॉक 16.04.2023 को मैं थाने से हमराही कां0 अकुंज को साथ लेकर रपट सं0 49 समय 11:33 बजे, शान्ति व्यवस्था, देखरेख व उपरोक्त मुकदमें में वॉछित अभियुक्तगण की तलाश हेतु जजी चौराहा, बिजनौर पहुँचे तो मुखबिर की सूचना पर वॉछित अभियुक्तगण की गिरफतारी हेतु मौके पर गवाहान फराहम करने का प्रयास किया गया। गवाही देने को कोई तैयार नहीं हुआ। मुखबिर को साथ लेकर उसके बताये स्थान की ओर चले गये। मंडावर रोड पर जीतमल देवता मंदिर के पास मुखबिर ने गाडी रूकवाकर बताया कि जो सामने यात्री शैड के पास कुर्ता पाजामा पहने खडा है, यही सगीर है, मुखबिर बताकर चला गया। हमने एक बारगी दबिश देकर समय 13:55 बजे पकड लिया। पकडे गये व्यक्ति ने अपना नाम सगीर पुत्र शब्बीर, निवासी ग्राम मण्डावली सैदू, थाना कोतवाली शहर, जिला बिजनौर बताया। अभियुक्त को कारण बताकर गिरफतार किया गया तथा उसके परिजनो को उचित माध्यम से सूचना दी गयी। थाने लाकर मर्दाना हवालात में पूछताछ की गई। बयान अभियुक्त सगीर के सी0डी0 में अंकित किए गए। दिनॉक 16.04.2023 को ही बयान पीडिता/चश्मदीद हनीफा, पत्नी सगीर अमद व साबरा पुत्री सगीर अहमद सी0डी0 में अंकित कए गए। बयान चश्मदीद व स्वतंत्र गवाह मौ0 अली व युनुस सी0डी0 में अंकित किए। दिनॉक 20.04.2023 को सी0डी0 का पर्चा नं0 5 किता कर वादी अब्बास अहमद पुत्र सगीर अहमद ने एक लिखित तहरीर दी जिसमें बताया कि मजरूब सगीर अहमद की मेरठ में झगडे में आयी चोटो के कारण मृत्यु हो चुकी है। दिनॉक 17–04–2023 को मृत्यु हो चुकी है जिसका पंचायतनामा व पी0एम0 मेरठ में हुआ था। वादी के पुनः मजीद बयान अब्बास अहमद के सी0डी0 में अंकित किए। दिनॉक 21–04–2023 को मैं मेरठ मेडिकल कालेज, मेरठ में पी0एम रिपोर्ट बयान चिकित्सक लेने गये थे। दिनॉक 22.04.2023 को हम मेरठ मेडिकल कालेज, मेरठ में पी0एम रिपोर्ट बयान चिकित्सक लेने गये थे। दिनॉक 22.04.2023 को मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन जी0डी0 कर सी0डी में अंकित किया तथा बयान पी0एम0 करने वाले डॉ0 रणवीर सिहॅ चौधरी बयान आरक्षी चन्द्रेश कुमार व कां0 जर्रार तथा बयान एस0आई0 बिजेन्द्र सिहॅ सी0डी0 में अंकित किए तथा पी0एम0 रिपोर्ट, बयान चिकित्सक तथा बयान वादी के आधार पर सगीर के झगडे में आयी चोटों के कारण ईलाज के कारण मृत्यु हो जाने के आधार पर धारा 308 भा0द0सं0 का विलोप किया गया तथा उसके स्थान पर धारा 302 भा0दं0सं0 की बढोतरी की गयी।''

31• साक्षी **पी0डब्लू0–16 निरीक्षक जीत सिंह** (विवेचक) ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, ''दिनांक 17–05–2023 को मैं थाना कोतवाली शहर बिजनौर में प्रभारी

निरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा अपराध सं0 299/2023 धारा 323, 504, 506, 308 भा0दं0सं0 में विवेचना ग्रहण कर पूर्व विवेचना का अवलोकन कर सी0डी0 1 से 20 तक अवलोकन कर सी0डी0 21 में अंकित किया। दिनांक 20–05–2023 को अभियुक्त संजीदा की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी, नहीं मिली। मुखबिर मामूर थे। दिनांक 30–05–2023 को अभियुक्ता संजीदा का माननीय न्यायालय से एन0बी0डब्लू0– प्राप्त कर सी0डी0 में अंकित किया। दिनांक 31–05–2023 को मूल पंचायतनामा मृतक का व मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त कर अवलोकन सी0डी0 में अंकित किया तथा मजीद बयान वादी अब्बास अहमद पुत्र सगीर अहमद के बयान सी0डी0 में अंकित किये तथा पुनः निरीक्षण घटनास्थल वादी की निशानदेही पर निरीक्षण किया। दिनांक 02–06–2023 को चुटैल हनीफा की एक्स–रे रिपोर्ट का अवलोकन कर सी0डी0 में अंकित किया तथा डॉ0 राधेश्याम वर्मा का बयान अंकित किया तथा मजरूबा हनीफा की सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट का अवलोकन कर संलग्न किया गया। फ्रैक्चर के आधार पर धारा 325 भा0दं0सं0 की बढ़ौत्तरी की गई। दिनांक 03–06–2023 को मजीद बयान वादी पंचायतनामे से सम्बन्धित तथा बयान पंचायतनामा गवाहान आसिफ, मौ0 यूनुस, मौ0 सरफराज, मंसूर अहमद व चश्मदीद गवाह रिजवाना खातून तथा स्वतन्त्र गवाह अफसर के बयान अंकित किये। दिनांक 13–07–2023 को बयान वादी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट, चश्मदीद गवाहान एवं अन्य गवाहान के आधार पर अभियुक्त फरमान व सगीर के विरुद्ध धारा 323, 504, 506, 302/34, 325 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र सं0 431/2023 दिनांक 13–07–2023 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया तथा अभियुक्ता संजीदा की विवेचना प्रचलित रही। आरोप पत्र पत्रावली पर कागज सं0 ब–3/1 ता 3/8 पर मौजूद है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर मे हैं, अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–22** अंकित किया गया। दिनांक 01–08–2023 को अभियुक्ता संजीदा के विरुद्ध धारा 82 दं0प्र0सं0 के आदेश माननीय न्यायालय से प्राप्त कर अवलोकन करने के बाद सी0डी0 में अंकित किया। दिनांक 06–08–2023 को 82 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही के क्रम में उद्घोषणा पत्र अभियुक्ता के दरवाजे पर चस्पा किया गया। दिनांक 14–09–2023 को मेरा स्थानांतरण होने के बाद एस0एच0ओ0 राजीव चौधरी द्वारा विवेचना ग्रहण की गई। मैंने उनको लिखते–पढ़ते व हस्ताक्षर करते देखा है। मैं उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता हूं। आरोप पत्र पत्रावली पर अभियुक्ता संजीदा के विरुद्ध धारा 323, 504, 506, 325, 302/34 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र सं0 431ए/2023 पत्रावली पर मौजूद है। गवाह ने आरोप पत्र देखकर कहा कि एस0एच0ओ0 राजीव चौधरी के हस्ताक्षर हैं, उन्हीं के द्वारा आरोप पत्र अभियुक्ता संजीदा के विरुद्ध माननीय न्यायालय को प्रेषित किया। मैं उनके हस्ताक्षर की पहचान करता हूँ। आरोप पत्र पर **प्रदर्श क–23** अंकित किया गया।''

32• साक्षी **पी0डब्लू0–17 मौहम्मद युनसू,** जो कि इस अभियोग का चक्षुदर्शी साक्षी है, ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, ''मैं हाजिर अदालत फरमान, सगीर पुत्र शब्बीर तथा संजीदा को जानता पहचानता हॅू तथा मैं मृतक सगीर अहमद पुत्र घसीटा को भी जानता पहचानता हॅू। ये सभी मेरे गॉव के रहने वाले है। मुलजिमानों का घर

मृतक सगीर के सामने है। दिनॉक 14.04.2023 को दोपहर लगभग दो–ढाई बजे के आस–पास मैंने गली में शोर सुना, शोर पर मैं घटना स्थल पर पहुंचा तो गांव के फरमान, सगीर व संजीदा ने अपने हाथ में लिये ईंटों से सगीर के सिर पर वार कर रहे थे। सगीर की पत्नी हनीफा व लड़की साबरा बचाने आये तो उनके साथ भी ईंटों व डण्डों से वार किया। मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गयी थी। मुल्जिमान भीड़ को देखकर जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये थे। इस घटना में सगीर, हनीफा व साबरा घायल हो गये थे, जिनको ईलाज के लिये बिजनौर अस्पताल में भर्ती किया था तथा सगीर की हालत को गम्भीर देखते हुए मेरठ रैफर कर दिया था। दिनांक 17–04–2023 को चुटैल सगीर की ईलाज के दौरान मेरठ मेडिकल कालेज में मृत्यु हो गयी थी। मुल्जिजमान व मृतक के बीच में रास्ते में पेड़ी बनाने को लेकर रंजिश थी।''

33• अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 14–04–2023 को समय करीब 02:30 बजे दिन वहद स्थान ग्राम मण्डावली सैदू, थाना कोतवाली शहर, जिला बिजनौर की सीमा में एकराय होकर सामान्य आशय के अग्रसारण में वादी मुकदमा अब्बास अहमद के पिता सगीर अहमद के सिर में ईंट से चोटें पहुंचाकर उनकी हत्या कारित की गयी, वादी मुकदमा अब्बास अहमद की माता हनीफा व बहन साबरा को लाठी–डण्डों से मारपीट की गयी, जिससे हनीफा के फ्रैक्चर हो गया, वादी मुकदमा के परिवार वालों को गन्दी–गन्दी गालियां दी गयी एवं जान से मारने की धमकी दी गयी। वादी मुकदमा एवं अन्य तथ्यात्मक साक्षी पी0डब्लू0–17 द्वारा अपनी साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। अन्य तथ्यात्मक साक्षीगणों को अभियुक्तगण द्वारा विनओवर कर लिया गया है, जिस कारण उनके द्वारा सही गवाही नहीं दी गयी है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षियों ने समस्त अभियोजन प्रपत्रों, अभियुक्तगण से की गयी बरामदगी, चिकित्सीय आख्या व अन्य प्रपत्रों को विधिवत् साबित किया है तथा अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य में ऐसा कोई मुख्य विरोधाभाष नहीं है, जिससे अभियोजन कथन या अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य संदिग्ध होती हो। उपरोक्त परिस्थिति में अभियोजन अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाय।

34• बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्तागण द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा कथित अपराध कारित नहीं किया गया है, बल्कि वादी मुकदमा द्वारा गांव की रंजिश को लेकर उन्हें झूठा फंसाया गया है। सत्यता यह है कि वादी मुकदमा अब्बास अहमद के पिता सगीर अहमद, उसकी माता हनीफा व बहन साबरा को चोटें उनके ऊपर दीवार गिरने से आयी हैं तथा वादी द्वारा घटना की रिपोर्ट अभियुक्तगण को झूठा नामजद करते हुए दर्ज करायी गयी है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत चुटैल साक्षीगण पी0डब्लू0–2 हनीफा व पी0डब्लू0–3 साबरा खातून ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा अभियुक्तगण द्वारा उनके साथ मारपीट करने से स्पष्ट इन्कार किया है तथा उन्हें चोटें दीवार की चिनाई करते हुए, दीवार गिरने से आना कहा है तथा उन्हीं चोटों के कारण मृतक सगीर अहमद की

मृत्यु होना कथित किया है। इसी प्रकार घटना के अन्य कथित चक्षुदर्शी साक्षीगण पी0डब्लू0–4 कय्यूम, पी0डब्लू0–5 मौ0 यामीन, पी0डब्लू0–6 रिजवाना खातून, पी0डब्लू0–7 मौहम्मद अली एवं पी0डब्लू0–8 मौ0 अफसर ने भी अपनी साक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा कथित घटना कारित करने से स्पष्ट इन्कार किया है तथा अभियोजन द्वारा स्वयं उपरोक्त चुटैल व चक्षुदर्शी साक्षीगण को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। घटना के अन्य चक्षुदर्शी साक्षी पी0डब्लू0–17 मौ0 यूनुस ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथन का समर्थन किया है, परन्तु अपनी जिरह में कथित घटना का समर्थन नहीं किया है। उपरोक्त परिस्थिति में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी पी0डब्लू0–1 की साक्ष्य व तहरीर प्रदर्श क–1 संदिग्ध हो रही है तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों की साक्ष्य से अभियुक्तगण पर लगाया गया आरोप युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं हो रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोष मुक्त किया जाय।

35• उपरोक्त तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया।

36• अभियुक्तगण फरमान, सगीर अहमद व संजीदा उर्फ शमशीदा पर आरोप है कि दिनांक 14–04–2023 को समय करीब 02:30 बजे दिन वहद स्थान ग्राम मण्डावली सैदू, थाना कोतवाली शहर, जिला बिजनौर की सीमा में अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर सामान्य आशय के अग्रसारण में वादी मुकदमा अब्बास अहमद के पिता सगीर अहमद के सिर में ईंट से चोटें पहुंचाकर उनकी हत्या कारित की गयी, वादी मुकदमा अब्बास अहमद की माता हनीफा व बहन शाबरा को लाठी–डण्डों से मारपीट की गयी, जिससे हनीफा के फ्रैक्चर हो गया, वादी मुकदमा के परिवार वालों को गन्दी–गन्दी गालियां दी गयी एवं जान से मारने की धमकी दी गयी। अभियोजन की ओर से अपने उपरोक्त कथन के समर्थन में 17 साक्षीगण को प्रस्तुत किया गया है, जिनमें से तथ्यात्मक साक्षियों के रूप में वादी मुकदमा पी0डब्लू0–1 अब्बास अहमद, पी0डब्लू0–2 हनीफा (चुटैल), पी0डब्लू0–3 साबरा खातून (चुटैल), पी0डब्लू0–4 कय्यूम, पी0डब्लू0–5 मौ0 यामीन, पी0डब्लू0–6 रिजवाना खातून, पी0डब्लू0–7 मौ0 अली, पी0डब्लू0–8 मौ0 अफसर एवं पी0डब्लू0–17 मौहम्मद यूनुस को परीक्षित कराया गया है।

37• उपरोक्त साक्षियों में से महत्वपूर्ण तथ्यात्मक साक्षी वादी मुकदमा पी0डब्लू0–1 द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा अभियुक्तगण द्वारा अपनी बहन साबरा, माँ हनीफा, पिता सगीर अहमद के साथ ईंट–पत्थरों से मारपीट करने, गन्दी–गन्दी गालियां देने, जान से मारने की धमकी दिये जाने से इन्कार किया गया है तथा कहा है कि 'वह घटना की दिनांक को जंगल गया था। उसे करीब 03:00 बजे सूचना मिली कि उसके अब्बा सगीर अहमद, मां हनीफा व बहन साबरा के ऊपर दीवार चिनते समय गिर गयी है, जिससे वह तीनों घायल हो गये। वह सूचना पर तुरन्त घर गया और उन तीनों को घायल अवस्था में वैन कार से लेकर सरकारी अस्पताल बिजनौर गया था, जहां से उसके अब्बा की हालत खराब होने के कारण मेरठ रैफर कर दिया था। जहां दिनांक 17–04–2023 को ईलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी।' उपरोक्त साक्षी को स्वयं अभियोजन द्वारा

पक्षद्रोही भी घोषित किया गया है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में भी अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर लाठी–डण्डों, ईंटों से मारपीट करने, मारपीट करके वादी के पिता सगीर अहमद के सिर में ईंट से चोटें पहुंचाकर उनकी हत्या कारित करने, उसकी माता हनीफा के कन्धे में फ्रैक्चर पहुंचाने, गन्दी–गन्दी गालियां दिये जाने एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने से पुनः इन्कार किया गया है। वादी मुकदमा पी0डब्लू0–1 ने अपनी जिरह में थाने पर दी गयी तहरीर के सम्बन्ध में यह कहा है कि ''मैंने तहरीर थाने पर नहीं दी थी। गांव वालों ने लिखकर मेरे हस्ताक्षर करा लिये थे। मैं अपने अब्बा को लेकर मेरठ ईलाज के लिये चला गया था।'' यद्यपि इस साक्षी ने तहरीर एवं मृत्यु की सूचना की तहरीर पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की है। इस प्रकार वादी मुकदमा पी0डब्लू0–1 की साक्ष्य में आये उपरोक्त विपरीत तथा विरोधाभाषी कथनों से वादी मुकदमा की साक्ष्य, अभियोजन कथन व वादी द्वारा थाने पर दी गई तहरीर प्रदर्श क–1 संदिग्ध हो रही है।

38• अभियोजन द्वारा अपने उपरोक्त कथन के समर्थन में घटना के चुटैल व चक्षुदर्शी साक्षीगण हनीफा व साबरा खातून को बतौर पी0डब्लू0–2 व पी0डब्लू0–3 के रूप में परीक्षित कराया गया है, परन्तु उपरोक्त साक्षीगण द्वारा भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है तथा अभियुक्तगण फरमान, सगीर व संजीदा उर्फ शमशीदा द्वारा एकराय होकर लाठी–डण्डों, ईंटों से मारपीट करने, मारपीट करके वादी के पिता सगीर अहमद के सिर में ईंट से चोटें पहुंचाकर उनकी हत्या कारित करने, उसकी माता हनीफा के कन्धे में फ्रैक्चर पहुंचाने, गन्दी–गन्दी गालियां दिये जाने एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने से इन्कार किया गया है तथा उनके आयी चोटें दीवार गिरने के कारण आना बताया है। उपरोक्त दोनों चुटैल साक्षीगण पी0डब्लू0–2 व पी0डब्लू0–3 ने अपनी–अपनी जिरह में कहा है कि दिनांक 14–04–2023 को जब वे अपनी घर की दीवार चिन रहे थे तब फरमान, सगीर व संजीदा नहीं आये थे, न ही इन्होंने उनके साथ गाली–गलौच की, न ही इन्होंने ईंट व लाठी–डण्डों से मारपीट की थी और न ही जान से मारने की धमकी दी थी। साथ ही अभियोजन द्वारा अपने घटना के अन्य कथित चक्षुदर्शी साक्षीगण कय्यूम, मौ0 यामीन, रिजवाना खातून, मौ0 अली, मौ0 अफसर को बतौर पी0डब्लू0–4 लगायत पी0डब्लू0–8 के रूप में परीक्षित कराया गया है, परन्तु उपरोक्त साक्षियों में से भी किसी साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है तथा अभियुक्तगण द्वारा सगीर अहमद, हनीफा व साबरा को ईंटों व लाठी–डण्डों से मारपीट करने से इन्कार किया गया है। उपरोक्त समस्त साक्षियों को स्वयं अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। उपरोक्त समस्त साक्षियों द्वारा अपनी साक्ष्य से घटना का समर्थन ना करने से अभियुक्तगण द्वारा कथित घटना कारित करने का अभियोजन कथन संदिग्ध हो जाता है।

39• इसी प्रकार पी0डब्लू0–17 मौहम्मद युनुस ने यद्यपि अपनी मुख्य परीक्षा में तो शोर पर घटनास्थल पर पहुंचना, अभियुक्तगण फरमान, सगीर व संजीदा द्वारा ईंटों से सगीर के सिर पर वार करने हुए देखना, हनीफा व साबरा के साथ भी ईंटों से वार करना, कथित करते हुए दिनांक 17–04–2023 को चुटैल सगीर की ईलाज के

दौरान मेरठ अस्पताल में मृत्यु होना कहा है, किन्तु इस साक्षी ने अपनी जिरह में घोर विपरीत एवं विरोधाभाषी कथन करते हुए कहा है कि ''घटना स्थल से मेरी दुकान लगभग एक किलोमीटर दूर है। घटना के समय मैं अपनी दुकान पर था। मैं घटना स्थल पर आधे घण्टे बाद पहुंचा था।............ मैंने स्वयं कोई घटना नहीं देखी। मेरे सामने हाजिर अदालत मुल्जिमान सगीर पुत्र शब्बीर, फरमान व संजीदा ने मृतक सगीर, उसकी पत्नी हनीफा व साबरा के साथ कोई मारपीट नहीं की, न ही गन्दी–गन्दी गालियां दी तथा ना ही जान से मारने की धमकी दी।........... घटनास्थल पर खड़े लोग जो वहां मौजूद थे, जिक्र कर रहे थे कि मृतक सगीर, हनीफा व साबरा को दीवार गिरने से चोट आ गई हैं।'' इस साक्षी ने अपनी जिरह में भी अभियुक्तगण द्वारा कथित घटना कारित करने से इन्कार किया है। इस प्रकार पी0डब्लू0–17 की साक्ष्य में आये उपरोक्त विपरीत तथा विरोधाभाषी कथनो से पी0डब्लू0–17 की साक्ष्य व अभियोजन कथन संदिग्ध हो रही है। अन्य कोई साक्ष्य अभियोजन की ओर से ऐसा प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे अभियुक्तगण द्वारा कथित घटना कारित किया जाना साबित होता हो।

40• अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के पिता, उसकी माता व उसकी बहन के साथ ईंटों व लाठी–डण्डों से मारपीट कर उसके पिता की हत्या करना व माँ–बहन को गम्भीर चोटें पहुंचाना, कथित किया गया है, परन्तु जैसा कि उपरोक्त विवेचित किया गया है कि घटना के चुटैल व चक्षुदर्शी साक्षीगण पी0डब्लू0–2 व पी0डब्लू0–3 व घटना की अन्य चक्षुदर्शी साक्षीगण पी0डब्लू0–4 लगायत पी0डब्लू0–8 एवं पी0डब्लू0–17 ने अपनी साक्ष्य में चुटैल व मृतक सगीर को चोटें उनके ऊपर दीवार गिरने के कारण आना कहा है। उपरोक्त तथ्य की पृष्टि अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–9, जिसके द्वारा चुटैलों का चिकित्सीय परीक्षण किया गया है, की जिरह में किये गये इस कथन से होती है, जिसमें उसके द्वारा यह कहा गया है कि ''सभी चुटैलों की चोट दीवार गिरकर ईंट से चोट लगने से आना सम्भव है।'' इस प्रकार अभियोजन कथानक का समर्थन चिकित्सीय साक्ष्य से भी नहीं हो रहा है। उपरोक्त परिस्थिति में भी अभियोजन कथन पुनः संदिग्ध हो जाता है।

41• अभियोजन द्वारा, अभियुक्तगण द्वारा, दिनांक 14–04–2023 को समय करीब 02:30 बजे दिन वहद स्थान ग्राम मण्डावली सैदू, थाना कोतवाली शहर, जिला बिजनौर की सीमा में एकराय होकर सामान्य आशय के अग्रसारण में वादी मुकदमा अब्बास अहमद के पिता सगीर अहमद के सिर में ईंट से चोटें पहुंचाकर उनकी हत्या कारित किया जाना, वादी की माता हनीफा व बहन साबरा को लाठी–डण्डों से मारपीट करके हनीफा के फ्रैक्चर किया जाना, वादी के परिवार वालों को गन्दी–गन्दी गालियां दिया जाना एवं जान से मारने की धमकी देना, कथित किया गया है, परन्तु जैसा कि उपरोक्त विवेचित किया गया है कि घटना के चुटैल व चक्षुदर्शी साक्षीगण व तथ्यात्मक साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन न करने से, वादी की तहरीर प्रदर्श क–1 संदिग्ध होने से तथा घटना की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से भी न होने के कारण अभियोजन कथन संदिग्ध हो रहा है। अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों की साक्ष्य से, अभियुक्तगण पर लगाया गया आरोप युक्तियुक्त संदेह के परे

साबित नहीं हो रहा है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त होने योग्य हैं।

आदेश

42• सत्र परीक्षण सं0–1996/2023, मुकदमा अपराध सं0 299/2023, थाना कोतवाली शहर, जिला बिजनौर में अभियुक्तगण फरमान व सगीर को आरोप अन्तर्गत धारा 302/34, 323/34, 325/34, 504, 506 भा0द0सं0 एवं सत्र परीक्षण सं0–659/2024, मुकदमा अपराध सं0 299/2023, थाना कोतवाली शहर, जिला बिजनौर में अभियुक्ता संजीदा उर्फ शमशीदा को आरोप अन्तर्गत धारा 302/34, 323/34, 325/34, 504, 506 भा0द0सं0 में दोषमुक्त किया जाता है।

43• अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके जमानतनामे तथा व्यक्तिगत बन्धपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा जमानतदारों को उनके जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

44• अभियोजन साक्षीगण पी0डब्लू0–1 अब्बास अहमद (वादी मुकदमा), पी0डब्लू0–2 श्रीमती हनीफा (चुटैल), पी0डब्लू0–3 साबरा खातून (चुटैल), पी0डब्लू0–4 कय्यूम (चक्षुदर्शी), पी0डब्लू0–5 मौ0 यामीन (चक्षुदर्शी), पी0डब्लू0–6 रिजवाना खातून (चक्षुदर्शी), पी0डब्लू0–7 मौहम्मद अली (चक्षुदर्शी) एवं पी0डब्लू0–8 मौ0 अफसर (चक्षुदर्शी) के द्वारा अपनी–अपनी साक्ष्य में किये गये विरोधाभाषी व मिथ्या कथनों के आधार पर उसके विरूद्ध धारा 344 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पृथक–पृथक प्रकीर्ण वाद पंजीकृत हों।

45• प्रत्येक अभियुक्तगण को धारा 437ए दं0प्र0सं0 के तहत बीस–बीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एंव समान राशि की दो–दो जमानते सात दिन के अन्दर इस आशय से दाखिल करेंगें, कि अपील होने पर यदि अपीलीय न्यायालय द्वारा उन्हें तलब किया जाये तो वे अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होगें।

46• बरामद माल यदि कोई हो तो उसे बाद मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किया जाय।

47• निर्णय की एक प्रति सत्र परीक्षण संख्या 659/2024 सरकार बनाम संजीदा उर्फ शमशीदा, मुकदमा अपराध सं0 299/2023, अन्तर्गत धारा 302/34, 323/34, 325/34, 504, 506 भा0द0सं0, थाना कोतवाली शहर, जिला बिजनौर की पत्रावली पर रखी जाय।

दिनाँक 16–06–2026 **(प्रशांत मित्तल)**
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–01,
बिजनौर

48• आज यह निर्णय तथा आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनॉकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

दिनाँक 16–06–2026 **(प्रशांत मित्तल)**
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–01,
बिजनौर।